तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

09.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस के मांक नोटिस की अप्रार्थीगण को सम्यक तामील कर दी गयी। अप्रार्थीगण ऋणि द्वारा मांग सूचना के उत्तर में कोई आक्षेप/अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नहीं हुआ हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में बैंक के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मैं. पंवार ईंट उद्योग, राजकुमारी, शादरा देवी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी राजकुमारी को धारा 13(2) के तहत नोटिस प्रेषित करने एवं नोटिस की अप्रार्थी पर तामील हो जाने संबंधि कोई साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जबकि प्रत्येक अप्रार्थी ऋणि पर नोटिस तामील होना आवश्यक हैं। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार** –

" **Demand Notice**

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to **the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service**:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which**

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम 3 के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस विधिवत तामील होना नहीं माना जा सकता हैं। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) दिनांक 01.09.2023 अप्रार्थीगण को दिनांक 01.11.2023 को रजि. डाक से भिजवाया गया है, एवं धारा 13(4) के तहत दिनांक 18.12.2023 को ही कार्यवाही सम्पादित करते हुए सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। जबकि धारा 13(2) का नोटिस प्रेषित करने के पश्चात अप्रार्थीगण को 60 दिवस का समय दिया जाना आवश्यक था। प्रार्थी द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्[illegible]

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 0[illegible].20[illegible] को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:24 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश [illegible])
I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)